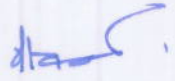


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (पी-498 /1986)/अलेसे-11/ ¹⁹⁰⁹⁰⁻¹⁹⁰⁹⁷ दिनांक :- 10.07.2015

कार्यालय आदेश

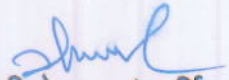
अधिशायी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-11 जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक अ/स्था.1/2015-16/3828-831 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय में पदस्थापित खण्डीय लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, को रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिनांक 06.07.2015 को ट्रेप कर लिया है जो कि अभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण उक्त श्री प्रहलाद सिंह शेखावत खण्डीय लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) को दिनांक 06.07.2015 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री शेखावत का मुख्यालय कोषालय अजमेर किया जाता है। श्री शेखावत को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (पी-498 /1986)/अलेसे-11/ ¹⁹⁰⁹⁰⁻¹⁹⁰⁹⁷ दिनांक :- 10.07.2015

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग राजस्थान, जयपुर ।
3. अधिशायी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड 11 जयपुर ।
4. कोषाधिकारी अजमेर ।
5. श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, खण्डीय लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11) कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-11 जयपुर ।
6. वरिष्ठ निजि सहायक-निदेशक महोदय ।
7. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु ।
8. निजि पत्रावली/अ.ले.से-प्रथम/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)